पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

प्रा0पत्र संख्या 245/2015
तारिख दायरा 15.9.15

उनवान

1.सीता पत्नि गोपाल जाति जाट निवासी डोडवाडी तह0 पीपलू जिला टोंक
कुल कस 4

प्रार्थीगण

बनाम

1.गजानन्द पुत्र चन्द्रा जाति गुर्जर निवासी डोडवाडी तहसील पीपलू जिला टोंक
कुल 3 कस

प्रतिपक्षीगण

तारिख फैसला 18.4.2017

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अ0धारा 92,188 रा0 टि0 एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता :– शिवजीराम चौधरी
अप्रार्थी अधिवक्ता :–चतुर्भूज गुर्जर

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सारांश में इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम डोडवाडी में आराजी ख0न0 432/6 रकबा 1 बीधा 04 बिस्वा,ख0न0432/4 रकबा 4 बीधा 17 बिस्वा,ख0न0432/5, रकबा 2 बीधा 10 बिस्वाकुल किता 3 कुल रकबा 8 बीधा 11 बिस्वा वाके ग्राम डोडवाडी तहसील पीपलू में स्थित है। जिसका प्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी कब्जे काश्तकार की भूमि है । जिस पर अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि में बिना किसी अधिकार के आये दिन विवाद उत्पन्न करते है तथा फसल बोने जोतने व काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है तथा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है । प्रार्थना पत्र में सुविधा का संन्तुलन एवं प्रथम दृष्या केस प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल सिद्व होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेश–हमेश के लिए पावन्द किया जावे कि उपरोक्त प्रार्थीगण की आराजीयात मे किसी प्रकार से गजाहमत व मदाखलत बेजा नही करे एवं प्रार्थीगण को फसल बोने जोने में व काटने में कोई बाधा उत्पन्न नही करे । पाबन्द रहे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी प्रतिवादी की गई प्रतिवादी की ओर से जरिये अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को गलत बताते हुऐ अस्वीकार करते हुऐ विशेष आपत्तियॉ पेश की है कि उपरोक्त आराजीयात भूमि में तथ्य पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर 40 वर्षो से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण का पूर्व में कभी भी न तो कब्जा था न ही वर्तमान मे हैं। ऐसी स्थिति में प्रा0पत्र सारहीन विधिहीन होने से खारिज किया जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण सुनी । प्राथीगण के अधिवक्ता ने दोराने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए रेकार्डेड खातेदार होना व सविधा का संतुलन होना प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक प्रतिपक्षी को पाबन्द करने का निवेदन कियां। प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को गलत बताते हुऐ अस्वीकार करते हुऐ विशेष आपत्तियॉ पेश की है कि उपरोक्त आराजीयात भूमि में तथ्य पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं होना व अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर 40 वर्षो से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण का पूर्व में कभी भी न तो कब्जा था न ही वर्तमान मे हैं। ऐसी स्थिति में प्रा0पत्र सारहीन विधिहीन होने से खारिज किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावे, प्रतिवादीगण प्रस्तुत जवाब दावे, साक्ष्यस्वरूप प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया गया –

तनकी न0 1:– आया आराजी ख0न0 432/6,432/4432/5 कुल किता 3 रकबा 8 बीधा 11 बिस्वा ग्राम डोडवाडी में वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें प्रतिवादीगण जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने व फसल बोने काटने पर मजाहमत करने पर अमादा है इस कारण उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का है।

उपखण्ड अधिकारी
पिपलू जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

वेदक प्रतिलिपि डाक से मंगवाना चाहता हो तो उचित डाक टिकिट भेजना चाहिय।

दस्तावेज ... खाता सख्या 462,263,463 की आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा ... डाडवाडी तहसील पीपलू मे स्थित है। जिसका प्रार्थीगण तन्हा खातेदार काश्तकार है मे दर्ज है तनकी सख्या 1 वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी न0 2:– आया विवादित आराजी के ख0न0 432 में पिछले 40 वर्षो से प्रतिवादीगण का ही कबजा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण को पाबन्द करने से अपार हानि होगी । उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर है .प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेजात एवं साक्ष्य में साबित नही किया है कि वादीगण की वर्णित भूमि में हक हिस्सा है .अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व में निर्णित की जाती है।

आदेश

तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित होने से आदेश दिये जाते है की वादी का वाद जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में खाता सख्या 462,263,463 की आराजी ख0न0 432/6 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा,ख0न0432/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा,ख0न0 432/5 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम डोडवाडी तहसील पीपलू में स्थित अप्रार्थीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा-हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त प्रार्थीगण की आराजीयात में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत बेजा नही करे एवं प्रार्थीगण को फसल बोने जोने में व काटने में कोई बाधा उत्पन्न नही करे ।

निर्णय आज दिनांक 18.4.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अर्पिता सोनी
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
उपखण्ड अधिकारी
पिपलू जिला टोंक

सत्य प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

231
2-5-18
2-5-18
3-5-18
3-5-18
5
3

आवेदक प्रतिलिपि डाक से मंगवाना चाहता हो तो उचित डाक टिकिट भेजना चाहिये।